

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जगदीर सिंह बनाम मनोज वर्मा वगैरे
दावा अधा. 188 आर.टी.एक्ट


मुकदमा नम्बर - 52 / 2024

किरम मुकदमा -
तारीख हुक्म

07.05.2024


जज
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर
नीमकाथाना

वादी की ओर से श्री सुरेश कुमार लाम्बा एडो ने स्वयं उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्रीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वारते देखने तामिल दिनांक 24.05.2024 को पेश हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

09.05.2024

वकील वादी के प्रार्थना पत्र मिसल तलवी का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 24.05.2024 से पूर्व तलब की जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में टाईपिंग मिस्टेक से वास्तविक खसरा नम्बर अनुतोष में दर्ज होने से छूट जाने से उक्त दावा को विझा कर नया वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील वादी के निवेदन पर वाद पत्र को विझा किया जाकर खारिज किये जाने एवं नया वादपत्र पेश किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

